न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अं)संख्या 57/2023 बउनवानी घनश्याम सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा निवासी–ईसरदा, हाल नि0 96 वार्ड नम्बर–9 जटवाडा खुर्द तह0 स0मा0

GCMS No-2023/120

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
22.9.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 12.7.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–

1. प्रार्थी द्वारा प्रेषित प्रा0 पत्र दिनांक 20.6.2023 पर अब तक की गयी कार्यवाही रिपोर्ट, रिपोर्ट की प्रतिलिपि मीमो

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा के जवाब नोटिस क्रमांक/भू0अ0/850/ दिनांक 15.9.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 12.72023 मे चाही गयी सूचना किसी भी कार्यालय दिवस मे आकर प्राप्त करने हेतु तहसीलदार चौथ का बरवाडा के पत्रांक 727 दिनांक 26.7.2023 से अपीलान्ट को लिखा गया किन्तु अपीलान्ट द्वारा उक्त सूचना कार्यालय से प्राप्त नही किये जाने के कारण जरिये पत्रांक 850 दिनांक 15.9.2023 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। तथा उक्त सूचना की प्रति अपीलान्ट द्वारा दिनांक 18.9.2023 को न्यायालय हाजा से भी व्यक्तिशः प्राप्त की जा चुकी है। चूंकि अपीलान्ट को वांछित सूचना प्राप्त हो चुकी है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 12.7.2023 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 में चाही गयी सूचना तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा अपीलान्ट को भिजवाई जा चुकी है एवं उक्त सूचना दिनांक 18.9.2023 को अपीलान्ट द्वारा व्यक्तिशः न्यायालय हाजा से भी प्राप्त की जा चुकी है तथा प्राप्त सूचना पर किसी प्रकार का उज्र भी नही [illegible] सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध हो चुकी है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट खारि[illegible]ी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद [illegible] दाखिल [illegible] की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:44:16 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner